

आयकर गणना प्रपत्र 2016–17 (कर निर्धारण वर्ष 2017–18)

PAN -

1. नाम कार्मिक.....	पद	रु.		
2. आय : वर्ष 2016–17 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मूल्य सहित)	रु.	रु.		
3. गृह किराया भत्ता धारा 10(13A) के अन्तर्गत एवं धारा 10(14) के अन्तर्गत अन्य भत्ते जो कर मुक्त हैं।	रु.	रु.		
4. 5. मनोरंजन भत्ता धारा 16(ii) के अन्तर्गत (अधिकतम सीमा रु. 5000)	शेष (2–3) रु.	रु.		
6. 7. (अ) गृह सम्पत्ति से आय : (i) स्वयं के उपयोग में – शून्य (ii) प्राप्त किराया	शेष (4–5) रु.	रु.		
(ब) घटायें :	किराये का 30% रु.	गृह ऋण पर ब्याज रु.	गृहकर रु.	योग रु.
			कुल शेष – / + (7(अ) एवं योग 7(ब) का)रु	रु.
8. 9. अन्य आय	कुल शेष – / + (6 एवं 7) रु.	रु.		
10. सकल आय	शेष (8+9) रु.	रु.		
11. घटाइये कटौतियाँ : धारा 80C,80CCC,80CCD (1)				
(A) अधिकतम सीमा 150000/- (धारा 80CCE), (80CCD(1B) के अलावा				
(i) राज्य बीमा	(x) सरकारी पेशन योजना में अंशदान	रु.		
(ii) जीवन बीमा प्रीमियम	(xi) पेंशन प्लान हेतु अंशदान	रु.		
(iii) राष्ट्रीय बचत पत्र	(xii) राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत्त ब्याज	रु.		
(iv) लोक भविष्य निधि	(xiii) दयूशन फीस	रु.		
(v) राष्ट्रीय बचत स्कीम	(xiv) इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम	रु.		
(vi) सामान्य प्रावधारी निधि	(xv) स्थगित वार्षिकी	रु.		
(vii) सामूहिक बीमा प्रीमियम	(xvi) पी.एल.आई.	रु.		
(viii) यूएलआइपी/वार्षिक प्लान	(xvii) अन्य	रु.		
(ix) गृह ऋण किस्त	Total (i to xvii)	रु.		
	अधिकतम कटौती राशि 1.50 लाख रुपये तक	रु.		
(B) घटाइये धारा 80CCD(2), नियोक्ता द्वारा पेशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10 प्रतिशत) पृथक से छूट	रु.			
(C) घटाइये धारा 80CCD(1B), नवीन पेशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु 50000/-)	रु.			
	योग 11 (A+B+C) रु.	रु.		
12. अन्य कटौतियाँ				
1. धारा 80D, चिकित्सा बीमा प्रीमियम (खपति/पति व बच्चों के लिये रु 25000, माता-पिता के लिये रु25000, माता-पिता सीनियर सिटीजन रु30000)	रु.			
2. धारा 80DD, विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार (अधिकतम रु 75000/- तथा विकलांग अधिनियम 1995 के अनुसार 125000/-)	रु.			
3. धारा 80DDB, विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (अधिकतम रु 40000/- तथा सीनियर सिटीजन हेतु 60000/-)	रु.			
4. धारा 80E उच्च शिक्षा हेतु ऋण का ब्याज	रु.			
5. धारा 80G धर्मार्थ सम्बादों आदि को दिये गये दान (क श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं ख श्रेणी में 50 प्रतिशत)	रु.			
6. धारा 80U स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में (अधिकतम 75000/- तथा अधिनियम 1995 के अनुसार 125000/-)	रु.			
7. धारा 80TTA बचत खाते पर अधिकतम ब्याज रु 10000/-	रु.			
	योग 12 (1 से 7 तक योग) रु.	रु.		
13. कुल कटौती (11 एवं 12 का योग)	रु.	रु.		
14. कर योग्य आय (10–13)	रु.	रु.		
15. कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288A	रु.	रु.		
16. (i) आयकर की गणना उपरोक्त कॉलम 15 के आधार पर	रु.			
घटाइये : राहत धारा 87ए के अन्तर्गत (रु 5000 अगर कुल कर योग्य आय 500000/- तक)	रु.			
(ii) शिक्षा उपकर 2 प्रतिशत कर पर	रु.			
(iii) उच्च शिक्षा के लिये अधिभार 1 प्रतिशत	रु.			
	योग 16 (i से iii)	रु.		
17. घटाइये : – राहत धारा 89 के तहत	रु.	रु.		
18. कुल कर	रु.	रु.		
19. आयकर कटौती का सितम्बर 2016 तक दिसम्बर 2016 तक जनवरी 2017 तक फरवरी 2017 तक टो.डो.एस. कुल योग 19 रु.	रु.	रु.		

आयकर देय/वापसी योग्य शेष – / + (18एवं19) रु

एक व्यक्ति करदाता	वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 वर्ष तक)	80 वर्ष या अधिक आयु
2,50,000 तक	NIL	3,00,000 तक
2,50,001–5,00,000	10%	3,00,001–5,00,000
5,00,000–10,00,000	20%	5,00,001–10,00,000
10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक

हस्ताक्षर

वेतन छा मानचित्र नाम कर्मचारी कार्यालय

क्र.सं.	माह	सकल वेतन का विवरण									कटौतियों का विवरण									शुद्ध भुगतान को गायी राशि	ट्रेजरी वाउचर सं०	भुगतान की दिनांक	वि.वि.			
		वेतन	मंहगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता	बोनस	अन्य	अन्य	योग सकल वेतन	जीपीएफ एनपीएस	राज्य बीमा	भारतीय जीवन बीमा	आर पी एम एफ	भवन ऋण	भवन ऋण ब्याज			आय कर		योग कटौती						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
योग																										